न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या :–01/2012 (कन्टेम्प्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2012/00019

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र देवीराम जाति लोधा निवासी पांडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. उमराव सिंह
2. चौब सिंह
3. कुँवर सिंह
4. थान सिंह
5. पूरन सिंह
6. शिव सिंह
7. प्रताप सिंह

पुत्रान रामप्रसाद जाति लोधा निवासी पॉडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 2(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.08.2018

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 18.08.2011 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 86/2011 में दिनांक 31.10.2011 को पारित स्थगन आदेश की अवहेलना के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास में प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादी पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 18.08.2011 से खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 86/2011 प्रस्तुत की गई एवं उक्त अपील में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.10.2011 से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.08.2011 में अंकित विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये गये। किन्तु रैस्पो0/अप्रार्थीगण ने उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 277/3 पर नींव खोदकर पक्का निर्माण शुरू कर दिया। अपीलाण्ट/प्रार्थी ने स्थगन आदेश का हवाला देते हुए, निर्माण कार्य बन्द करने की कहा तो, वह साफ इंकारी हो गये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर; न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना करने के लिये दण्डित करने का अनुतोष चाहा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि स्थगन आदेश के बाबजूद अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 277/3 में पुख्ता निर्माण कर न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा इस कृत्य को जानबूझकर किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, न्यायालय श्रीमान् के आदेश की अवहेलना व अवमानना के कृत्य के लिए अप्रार्थीगण की चल–अचल सम्पत्ति को कुर्क करते हुए दीवानी जेल भिजवाये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर कोई पुख्ता निर्माण नहीं किया है। प्रार्थी ने मात्र उन्हें परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि उक्त हुक्म अदूली प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा आदिनांक तक कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे न्यायालय श्रीमान के आदेशो की अवहेलना व अवमानना सिद्ध हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 2(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता; अपील संख्या 86/2011 रामस्वरूप बनाम उमराव सिंह में पारित स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेशिका दिनांक 10.01.2017 से वास्ते पेश करने साक्ष्य में लम्बित है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर पुख्ता निर्माण कार्य का तथ्य अथवा न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना सिद्ध होती हो। इस प्रकार अपीलार्थी अपने कथनों को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) साक्ष्य के अभाव में खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र हुक्म अदूली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official